न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–24 सन् 2022

बिगन साह वो अन्य.....वादीगण

बनाम

मोहन साह वो अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांक– 21.05.2022

वादी की ओर से हाजिरी दी गई। आज अभिलेख वादी की ओर से स्थानीय निरीक्षण हेतु अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 15.02.2020 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि प्रतिवादीगण विवादित एराजी में गृह निर्माण सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं तथा मिट्टी खुदाई करने वो निर्माण कार्य करने पर अमादा है। इस परिस्थिति में न्यायहित में किसी अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर विवादित एराजी का स्थानीय निरीक्षण कर वर्तमान स्वरूप अभिलेख पर आना बहुत ही आवश्यक है। अतः आवश्यक है कि एक अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति किया जाए एवं उससे विवादित एराजी का स्वरूप क्या है उसका प्रतिवेदन वो नजरी नक्सा अभिलेख पर मंगाया जाना न्याय के लिए अति आवश्यक है। अतः निवेदन है कि उपर्युक्त बातों पर विचार कर किसी अधिवक्ता आयुक्त को नियुक्त कर आवेदन में लिखित बिन्दुओं के निस्वत प्रतिवेदन मांगा लिया जाए।

प्रतिवादी सं0 03 ता 05 की ओर से दिनांक 12.04.2022 को उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल किया गया। प्रतिवादीगण का कथन है कि वादी को यह वाद दाखिल करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है वादी फरेबी व्यक्ति है। विवादित जमीन प्रतिवादी सं0 03 ता 05 की खरीदगी एराजी है तथा प्रतिवादी सं0 05 द्वारा उक्त एराजी के निस्वत बिहार सरकार के सिरिस्ते में अपना नाम दर्ज कराकर लगान अदा कर

लगान रशीद प्राप्त करते हैं। वादी बदनियती से प्रतिवादी सं0 05 को खरीदगो एराजी पर मुकदमा दायर किया है जिससे प्रतिवादीगण परेशान हो सके। स्थानीय पुलिस ने भी अपने जांच प्रतिवेदन में उक्त एराजी पर प्रतिवादी का दखल कब्जा दिखलाया है। वादी द्वारा सिर्फ प्रतिवादी को परेशान करने और साक्ष्य इकट्ठा करने हेतु आवेदन दाखिल किया है, जो स्वीकार होने योग्य नहीं है, बल्कि खारिज होने योग्य है। वादी द्वारा समाज वो कानून को दिग्भ्रमित करने के लिए वाद दायर किया है जो स्वीकार होने योग्य नहीं है। वादीगण का आवेदन दिनांक 15.02.2022 को खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत वाद वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध दाखिल कर वोसिका बैनामा दिनांक 24.12.2020 नविस्ते प्रतिवादी सं0 03 वो 04 बनाम प्रतिवादी सं0 05 नविस्ते सिडियुल नं0 02 वादपत्र को अवैध वो शुन्य घोषित करने हेतु दाखिल किया है। वादीगण की ओर से आवेदन में कथन है कि प्रतिवादीगण विवादित एराजी में गृह निर्माण सामग्री इकट्ठा कर मिट्टी खुदाई करने वो निर्माण कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे विवादित भूमि का वर्तमान स्वरूप अभिलेख पर मंगाया जाना आवश्यक है। अतः न्यायहित में वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन को स्वीकार किया जाता है। वादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे विवादित स्थल की निरीक्षण हेतु अधिवक्ता आयुक्त शुल्क मो0 2500/—रूपया नजारत में जमा करें।

वाद दिनांक 04.06.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।